राजस्थान सरकार

स्वायत शासन विभाग, राज. जयपुर

कमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/19/8974 जयपुर, दिनांकः 6/9/19

अधिसूचना

राज्य की 52 नगरीय निकायों में नवम्बर 2019 में आम चुनाव सम्पन्न कराये जाने है एवं तत्पश्चात शेष नगरीय निकायों के चुनाव 2020 एवं आगे समय–समय पर करवाये जाने प्रस्तावित है। विभागीय अधिसूचना कमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/19/818–1522 दिनांक 10.06.19 के द्वारा मुख्य नगरपालिक अधिकारी को सभी नगरीय निकायों में निर्धारित सीटों की जनसंख्या के अनुसार वार्डो के गठन एवं पुनर्सीमांकन कार्य हेतु राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3 के तहत प्राधिकृत अधिकारी अधिकृत किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6 एवं राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 5 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसुचित जनजाति, पिछडा वर्ग, अनारक्षित वार्डो एवं महिलाओं के लिए विभागीय अधिसूचना कमांक 6901 दिनांक 29.07.19 के अनुसार निर्धारित वार्डो की संख्या के आधार पर अधिनियम के उपवंधो के अनुसार लॉटरी द्वारा आरक्षण किए जाने हेतु संवंधित जिला कलक्टर को एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता है।

उज्जवल राठौड़
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

कमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/19/ 8975-9230 दिनांकः 6/9/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, निदेशक शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
05. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
06. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
07. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
08. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान।
09. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकाए समस्त राजस्थान।
10. मुख्य नगरपालिक अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाए समस्त राजस्थान।
11. प्रोग्रामर निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु।
12. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु।
13. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राज पत्र मे अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पॉच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D/shahzad ali/Gopal Ji/Latter

Scanned by CamScanner